

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)
(दिनांक ...12/5/23...)

राजस्व प्रकरण प्रार्थना पत्र सं. - 79/2023

GCMS NO. -----

किस्म मुकदमा :- 136 LR Act.

उनवान :- सुलतान सिंह बनाम राज0 सरकार
-:आदेश:-

दिनांक : 12/5/23

प्रार्थी के कुधडावास्
नाम दुरुस्ती प्रार्थना पत्र, प्रार्थी प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार बुहाना व पटवारी हल्का खुलतान सिंह के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	जानवास्	136	बिठपाल सिंह पुत्र पालू राम सुलतान सिंह पुत्र पालू राम	बिठपाल सिंह पुत्र फूलू राम सुलतान सिंह पुत्र फूलू राम



(सुलतान सिंह के माध्यम से)
एवं उपखण्ड अधिकारी कलक्टर
बुधदेना सिन्हा कलक्टर, बुहाना

दिनांक :- 12/5/23

क्रमांक :- राजस्व/2023/12

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बुहाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर सात दिवस में पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. संबंधित श्री सुलतान सिंह पुत्र फूलू राम को सूचनार्थ।

(सुलतान सिंह के माध्यम से)
एवं उपखण्ड अधिकारी कलक्टर
बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना